भरतपुर (राज.)

27-1-21

वकील अपीलान्ट उप०/ वकील ईस्टे० उप०/ पत्रावली का अवलोकन किया यहां अपीलान्ट के ईस्टे० सं० 3 व 8 की तलबी हेतु साधारण डाक नोटिस भेजने बाबत ग्यारह (11) अवसर तथा रजिस्टर्ड ए०डी० डाक से नोटिस भेजने हेतु चार (4) अवसर दिये जा चुके है। प्रकरण वर्ष 2015 में दर्ज रजिस्टर हुआ है। ईस्टे० सं० 3 व 8 तलबी करने हेतु 15 (पन्द्रह) अवसर दिये जाने के पश्चात ईस्टे० सं० 3 व 8 की तामील हेतु नोटिस पेश नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद शर्ते दाखिल दफ्तर हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

PM/19-20/3778